राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302015
सम्पर्क सूत्र – 0141– 2740172, ई–मेल – spm.rhb@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 1187 दिनांक 17.08.2022

ई–निविदा सूचना

दर अनुबंध (Rate Contract) व सूची में सम्मिलित (Empanelment) पर सुरक्षा प्रहरी (सिविल) सेवा हेतु

निविदा संख्या : .....

UBN NO. .....

आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2022–23 में निम्न वर्णित कार्यो/सेवाओं के लिए वार्षिक दर अनुबंध किये जाने हेतु संबंधित कार्यो के पंजीकृत ठेकेदारो/फर्मो से ऑनलाईन ई–निविदा दरे आमंत्रित की जाती है। निविदा की पूर्ण जानकारी पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in एवं urban.rajasthan.gov.in/rhb पर देखी जा सकती है।

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 16.09.2022 सायं 4.00 बजे तक तथा ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड की अंतिम तिथि 19.09.2022 को सायं 5.00 बजे तक।

1. निविदा शुल्क व ई–टेण्डरिंग शुल्क लौटाने योग्य नहीं होगा।
2. निविदा, ई–टेण्डरिंग शुल्क व अमानत राशि ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक दिनांक 16.09.2022 को सायं 4.00 से पूर्व मण्डल की कार्मिक शाखा में जमा कराया जाना है।
3. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर का होगा।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल के मुख्यालय, समस्त वृत/खण्ड/उपखण्ड कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा प्रहरी (सिविल) तैनात किये जाने है। निविदा शुल्क राशि रू. 1180/– मय जीएसटी व अमानत राशि राशि रू. 5.00 लाख **''राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर''** के पक्ष में डी.डी., बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद जमा करा, रसीद संख्या. एवं ई–टेण्डरिंग शुल्क राशि रू. 1180/– मय जीएसटी का डी.डी./बैंकर्स चैक ''M.D. RISL, Jaipur" **के** पक्ष में देय होगा। निर्धारित शुल्क की तीनों मूल डी.डी. /बैंकर्स चैक/कार्मिक प्रकोष्ठ, मुख्यालय में बंद लिफाफे में **'ई–निविदा अनुबंध पर सुरक्षा प्रहरी (सिविल) सेवा हेतु''** लिखकर अंतिम दिनांक 16.09.2022 सायं 4.00 बजे से पूर्व जमा कराना होगा।

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 16.09.2022 को सायं 4.00 बजे तक तथा निविदा प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड की अंतिम तिथि 19.09.2022 को सायं 4.00 बजे तक। तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि 20.09.2022 को सायं 4.00 बजे। ऑनलाईन वित्तीय निविदा केवल सफल तकनीकी निविदादाताओं की ही खोली जावेगी जिसका दिनांक व समय ऑनलाईन पोर्टल पर अंकित होगा।

क्र. सं.	**कार्य स्थल**	सुरक्षा प्रहरी की अनुमानित संख्या	वर्षिक अनुमानित लागत (करोड़ में)	निविदा शुल्क राशि रू. मय जीएसटी	ई–टेण्डरिंग शुल्क राशि रू. मय जीएसटी	अमानत राशि (लाख में)	**UBN No.**
1.	जयपुर स्थित मुख्यालय व 3 वृत एवं इनके अधीन खण्ड/ उप खण्ड एवं अधीनस्थ कार्यालय तथा जोधपुर स्थित 2 वृत व बीकानेर, उदयपुर, अलवर, कोटा स्थित 1 वृत व इनके अधीन खण्ड/ उप खण्ड एवं अधीनस्थ कार्यालय	200	2.50	1180/–	1180/–	5.00	

ह0

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

निविदा नं. ..... व दिनांक ....., UBN No. .....

निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड़)

1. निविदा प्रपत्र (विषय) : एक वर्ष के लिए **''अनुबंध पर सुरक्षा प्रहरी (सिविल) सेवा हेतु''** प्रपत्र।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम – .....
3. डाक का पूरा पता – .....
   .....
4. दूरभाष ...../मोबाईल नं. .....
5. निविदा शुल्क व अमानत **राशि ''राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर''** के पक्ष में डी.डी./बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या..... दिनांक .....बैंक का नाम..... ..... पर आहरित किया गया है अथवा नगद रसीद संख्या..... .....दिनांक .....रूपये .....सलंग्न है।

6. ऑनलाईन निविदा प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 1180/– का एक डी.डी./रसीद संख्या./ बैंकर्स चैक संख्या..... दिनांक ...../बैंक का नाम .....**''M.D. RISL, Jaipur"** के पक्ष मे देय होगा।
7. निविदा प्रपत्र, राजकीय पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in/sppp.rajasthan.gov.in/urban.rajasthan.gov.in/rhb से डाउनलोड करने अथवा निविदा प्रपत्र को प्राप्त करने हेतु प्रार्थना कार्मिक प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करने तथा रोकड़ शाखा में निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्राप्त कर सकेगें। निर्धारित शुल्क की तीनों मूल डी.डी. /बैंकर्स चैक/कार्मिक प्रकोष्ठ, मुख्यालय में बंद लिफाफे में 'ई–निविदा अनुबंध पर सुरक्षा प्रहरी (सिविल) सेवा हेतु'' लिखकर अंतिम दिनांक 16.09.2022 को सायं 4.00 बजे से पूर्व जमा कराना होगा।
8. उक्त राशि की तीनो डीडी/बैंकर्स चैक/नगद जमा राशि की स्केन कॉपी को ऑनलाईन ''तकनीकी बिड'' में अपलोड किया जावेगा,
9. तकनीकी निविदा (ई–निविदा बोली) एवं वित्तीय निविदा को इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में ऑनलाईन पोर्टल पर अंतिम समय से पूर्व अपलोड करना सूनिश्चित करें। अंतिम समय पश्चात् ऑनलाईन निविदा अपलोड किया जाना संभव नहीं होगा जिसके लिए मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा।
10. अनुबन्ध की दरें अनुबन्ध की तिथि/कार्यादेश में अंकित तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में आपसी सहमति के आधार पर अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।
11. मैंने/हमने निविदा की समस्त शर्तें पढ व समझ ली हैं व सहमत हैं, तथा इसकी सहमति में हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर कर दिये हैं।
12. यदि जीएसटी की राशि लागू होती है तो फर्म द्वारा अलग से देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम मय मोहर)

''दर अनुबंध (Rate Contract) व सूची में सम्मिलित (Empanelment) पर सुरक्षा प्रहरी (सिविल) सेवा हेतु '' तकनीकी बिड़ संलग्नकों की अनुमणिका

निविदादाता द्वारा निम्न विवरण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की फोटो प्रति मय हस्ताक्षर व फर्म मोहर के साथ तकनीकी बिड पर अपलोड करना अनिवार्य है, इसके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी है। दस्तावेजो की अपलोड की गई प्रति स्पष्ट होनी आवश्यक है।

क्र. सं.	दस्तावेज	विवरण	निविदा प्रपत्र में संलग्न पेज क्रमांक
1.	फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी		
2.	फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी		
3.	फर्म का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी		
4.	फर्म का वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी		
5.	आयकर (पेन नम्बर) की फोटो कॉपी		
6.	फर्म का राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनर शिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी		
7.	निविदा शुल्क की राशि जमा का विवरण		
8.	ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क राशि जमा का विवरण		
9.	अमानत राशि जमा का विवरण		
10.	मूल निविदा प्रपत्र एवं शर्तें व नियम पर हस्ताक्षर कर दिये है		
11.	फर्म का राजकीय /अर्द्धशासकीय /निगम /बोर्ड/ संस्थान आदि के परिसरों में अनुबंध पर सुरक्षा (सिविल) सेवा उपलब्ध ***कराने का 5 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण*** पत्र/दस्तावेज की फोटो कॉपी गत 5 वर्ष में से 2 वर्ष राजस्थान आवासन मण्डल में कार्य करने का अनुभव के साक्ष्य का कार्यादेश।		
12.	***फर्म PSAR Act 2005 के अर्नगत लाइसेन्स धारी होना आवश्यक है। (प्रति संलग्न है)***		
13.	फर्म गृह विभाग से सिक्योरिटी गार्ड के ट्रेनिंग देने के लिए अधिकृत होना चाहिए।		
14.	कार्मिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जावेगा, आशय का फर्म द्वारा शपथ–पत्र (फर्म के लेटर हेड पर)		
15.	किसी भी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/संस्थान आदि से फर्म को ब्लेक लिस्टेड नहीं किये जाने का शपथ–पत्र (फर्म के लेटर हेड पर)		
16.	फर्म के पास न्यूनतम 50 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध होने चाहिए, आशय का फर्म द्वारा शपथ पत्र (फर्म के लेटरहेड पर)		
17.	बोली दाता के द्वारा बोली पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति को प्रदान किया गया अधिकार–पत्र		

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम मय मोहर)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें – (तकनीकी बिड)

टिप्पणी :– निम्नांकित नियम/शर्तें/निर्देश (क्र. सं. 1 से 19 तक) इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा के सम्बन्ध में है। निविदादाताओ को चाहिये कि वे इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ लें और निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना की जावे।

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हित होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ मण्डल को प्रस्तुत करनी होगी।
3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण मण्डल को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत मण्डल की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बधित संवेदक का होगा।
5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये अनुबंध अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
7. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, अनुबंध अवधि, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
9. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि (लागू होने की स्थिति में) अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की

ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि (लागू होने की स्थिति में) जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं एवं दिशा–निर्देशों की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होगा।
11. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।
12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार विवर्जित (Debar) कराने की कार्यवाही करेगी।
15. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग के सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
16. फर्म का राजकीय /अर्द्धशासकीय /निगम /बोर्ड/ संस्थान आदि के परिसरों में अनुबंध पर सुरक्षा गार्ड सेवा उपलब्ध कराने का 5 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र/दस्तावेज की फोटो कॉपी गत 5 वर्ष में से 2 वर्ष राजस्थान आवासन मण्डल में कार्य करने का अनुभव के साक्ष्य का कार्यादेश।
17. फर्म PSAR Act 2005 के अर्नगत लाइसेन्स धारी होना आवश्यक है।
18. फर्म गृह विभाग से सिक्योरिटी गार्ड के ट्रेनिंग देने के लिए अधिकृत होना चाहिए।
19. सुरक्षा प्रहरी (सिविल) को मण्डल के कार्य आदेश से 15 दिवस में उपलब्ध करवाने होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम मय मोहर)

:– निविदा की अन्य शर्तें :–

1. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदादाता को तकनीकी निविदा (ई–निविदा बोली) एवं वित्तीय निविदा इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में ऑनलाईन पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पृथक–पृथक ऑनलाईन तय दिनांक व समय से पूर्व अपलोड करनी होगी।
3. सर्व प्रथम तकनीकी बिड को तय दिनांक/समय पर खोला जावेगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड को ऑनलाईन खोला जावेगा। जिसकी दिनांक/समय पृथक से ऑनलाईन सूचित किया जावेगा।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
5. निविदा प्रपत्र में प्रत्येक कॉट–छॉट/उपरिलेखन पर निविदादाता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
6. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा प्रहरी (सिविल) कार्मिकों पर न्यायालय/पुलिस थाने में वाद दर्ज नहीं होना चाहिए।
7. सुरक्षा प्रहरी (सिविल) भूतपूर्व सैनिक/पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष तथा न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण फर्म द्वारा उपलब्ध कराने होंगे।
8. फर्म के द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा प्रहरी (सिविल) को ड्यूटी के दौरान वर्दी, डण्डा, सीटी व टॉर्च इत्यादि फर्म द्वारा अनिवार्यतः उपलब्ध कराने होंगे।
9. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी गार्ड के अवकाश काल में एवजी के रूप में दूसरा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना होगा।
10. सुरक्षा प्रहरी (सिविल) कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के समस्त रिकार्ड ;यथा निवास प्रमाण–पत्र, पहचान प्रमाण–पत्र, योग्यता प्रमाण–पत्र, सुरक्षा गार्ड कार्य का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र इत्यादीद्ध फर्म द्वारा संधारित रखना होगा। आवश्यकता होने अथवा मांग किये जाने पर मण्डल को उपलब्ध कराना होगा।
11. फर्म को **निर्धरित स्थान/परिसर** हेतु सुरक्षा प्रहरी (सिविल) उपलब्ध कराने होगें अर्थात सुरक्षा गार्डों का कार्यस्थल **निर्धरित स्थान/परिसर** में होगा। डूयूटी पॉइन्ट मुख्य द्वार या प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार रहेगा।
12. प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी (सिविल) की ड्यूटी 8 घंटे की होगी। डूयूटी राउण्ड द क्लॉक के हिसाब से दी जायेगी। ड्यूटी का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं तीसरी पारी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक होगी। डूयूटी समय में परिवर्तन प्रभारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी किन्तु किसी भी गार्ड की डूयूटी 8 घण्टे से अधिक नहीं होगी।
13. **निर्धरित स्थान/परिसर** में ठेका अवधि के दौरान चोरी, तोडफोड, गार्डों की लापरवाही इत्यादि से विभाग को हुई हानि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
14. ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा प्रहरी (सिविल) पूर्ण सजगता एवं सतर्कता से ड्यूटी को अंजाम देंगे तथा परिसर में आने–जाने वाले व्यक्तियों, वाहनों एवं माल का पूर्ण विवरण संधारित पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर करवायेंगे।
15. सुरक्षा प्रहरी (सिविल) द्वारा परिसर में ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार के मादक/उत्तेजक पदार्थों के सेवन पर पूर्णतः पाबन्दी रहेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर फर्म को सूचना दिए जाने पर फर्म द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

16. निविदा स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त निविदा कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को होगा।

17. सम्पूर्ण निविदा पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उल्लेखित नियम प्रभावी होंगे एवं अनुबन्धक व कार्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

18. अनुबन्ध की अवधि पात्र निविदादाता को दिये गये कार्यादेश में अंकित तारीख से एक वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में आपसी सहमति के आधार पर अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार बढाई जा सकती है।

19. अनुबंध कार्मिकों द्वारा ड्यूटी के दौरान अवांछित/असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने स्थिति में उनके विरूद्ध पुलिस/न्यायालय व अन्य के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

20. निविदादाता दर–अनुबंध को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।

21. निविदादाता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस निविदा की समस्त शर्तें/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तें विवरण स्वीकार कर हस्ताक्षर किये हैं।

22. निविदादाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता/अयोग्यता होगी।

23. भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती प्रचलित नियम अनुसार की जायेगी। पेन नम्बर/ फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर/जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। सम्बन्धित पत्रो/प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें।

24. विवाद की स्थिति होने पर सचिव , राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को निविदा शर्तों के अनुसार निर्णय कर आवश्यक कटौती, भुगतान न करनें व वसूली करने का अधिकार होगा। विवाद की स्थिति में सचिव , राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

25. सचिव को किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक की सेवा के मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।

26. निविदादाता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
    (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति ।
    (ii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर एवं सत्यापन हेतु डाक्यूमेंट।
    (iii) कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

27. सचिव अथवा उनके द्वारा गठित कमेटी/प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गार्डों के कार्यों का समय–2 पर निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा प्रहरी (सिविल) द्वारा ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही/कोताही पाई जाती है तो फर्म को सूचित करने पर फर्म द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने की स्थिति में फर्म के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

28. असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद वापस लौटाई जा सकेगी।

29. करार व प्रतिभूति निक्षेप : सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर अनुबंध की राशि पर **0.25 प्रतिशत** मूल्य के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर करार/अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जो कि 100/– रू के गुणक में होगा। अनुमानित लागत की पॉच प्रतिशत प्रतिभूति राशि (नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट) जमा करानी होगी जो कि अधिकतम 50,000/– रू. होगी।

30. निविदा के समय जमा कराई गई बयाना/अमानता राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित कर लिया जायेगा।

31. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

32. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समाप्त किया जा सकेगा।

- जब अनुबंध की किन्ही शर्तों का उल्लघन किया गया हो।
- जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य गुणवत्तापूर्ण/संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

33. प्रतिभूति निक्षेप को समाप्त करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

34. फर्म द्वारा किसी समय सुरक्षा प्रहरी (सिविल) उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में फर्म की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर विभाग अन्य स्त्रोत से सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था कर सकेगा तथा उक्त व्यवस्था से हुई व्यय राशि फर्म से वसूल की जायेगी तथा 500/– रूपये शास्ति की वसूली फर्म से की जावेगी। ठेका अवधि में 3 बार से अधिक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फर्म की प्रतिभूति राशि जप्त कर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा फर्म के रिस्क एण्ड कॉस्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवाया जा सकेगा।

35. कार्य का भुगतान मासिक आधार पर पूर्ण रूप से स्वीकार्य बिल प्रस्तुत करने की दिनांक से एक माह के भीतर किया जावेगा।

36. निविदादाता को किसी भी अन्य विभाग/ निगम /बोर्ड/संस्थान आदि से ब्लेक लिस्ट नहीं किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्लेक लिस्ट किये जाने के सम्बन्ध में मण्डल को जानकारी होने पर अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त कर ली जावेगी।

37. वार्षिक दर अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुमानित निविदा मूल्य से वास्तिविक व्यय राशि कम या अधिक हो सकती है।

38. मण्डल कार्यालयों एवं मण्डल स्वामित्व भूमि पर अनुबंध अवधि के दौरान चोरी, कार्मिकों की लापरवाही से हुई हानि, इत्यादि से विभाग को हुई हानि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। इसके अतिरिक्त कार्य के दौरान होने वाली जान–माल की हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

39. फर्म द्वारा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं किया जावेगा।

40. सुरक्षा गार्ड कार्य के विवरण में दिये गये कार्य को करते समय किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती हैं या किसी भी रूप में अपंग/दुर्घटना हो जाती हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके मुआवजे आदि देने का भार स्वयं ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

41. ठेके की अवधि में यदि सुरक्षा प्रहरी (सिविल) द्वारा हडताल की जाती हैं और मण्डल द्वारा अपने स्तर पर ठेकेदार की जोखिम व लागत पर सुरक्षा गार्ड कार्य करवाने में जो राशि व्यय की जावेगी वह राशि ठेकेदार को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जायेगी।

42. सुरक्षा प्रहरी (सिविल) कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत् कोई लाईसेंस अथवा अनुमति पत्र लेना अनिवार्य हो, तो अनुबंधकर्ता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। अनुबंधकर्ता को अपने कर्मकारों के दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने व तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

43. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाएं आदि में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए अनुबंधकर्ता स्वयं उ़ारदायी होगा। अनुबंधकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किए गए संशोधनों की पालना करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा। पालना नहीं करने की स्थिति में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

44. यदि अनुबंधकर्ता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता हैं और इसमें सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भी पक्षकार बनाता हैं तो सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार अनुबंधकर्ता से वसूला जायेगा।

45. यदि अनुबंधकर्ता/निविदादाता एवं उनके सुरक्षा गार्डों के मध्य विवाद होता हैं तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर का कोई दायित्व नहीं होगा।

46. सभी संलग्न प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा स्वप्रमाणित किये हुए होने चाहिए।

47. सुरक्षा प्रहरी (सिविल) संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

48. **चयन प्रक्रिया :–** प्रथम न्यूनतम दर अनुबंध वाली फर्म की दरों पर शेष फर्मो से L-1 की प्रेषित दरों पर कार्य करने की सहमति हेतु पुछा जावेगा। जिन फर्मो द्वारा सहमति दी जावेगी उन्हे कार्य सूची में सम्मिलित कर, कार्य का स्थान व सुरक्षा प्रहरी की संख्या को मध्यनजर रखते हुए मण्डल द्वारा कार्य का आदेश जारी किया जायेगा।

49. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम मय मोहर)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

निविदा प्रपत्र 'ब' (वित्तीय बिड) का प्रारूप मात्र

(निविदादाता द्वारा सर्विस चार्च % केवल ईलेक्ट्रोनिक फार्मेट (BOQ) में ही दर्शाया जायेगा इस प्रपत्र को तकनीकी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न नहीं किया जाना है।)

(नोट – बोलीदाता को कॉलम नम्बर 6 में (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह) प्रतिशत में राशि अंकित करनी है।) कॉलम नम्बर 7 से 11 में स्वतः ही (Prefilled) प्रदर्शित हो जायेगी। कॉलम नम्बर 7 में प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी का श्रम विभाग द्वारा निर्धारित राशि पर 13 प्रतिशत EPF व 0.3.25 प्रतिशत ESI अतिरिक्त होगा, साथ ही अन्य किसी प्रकार का देय कर हो तो का भुगतान मण्डल द्वारा चयनित फर्म को किया जावेगा।

BoQ"

Tender Inviting Authority:Secretary, Rajasthan Housing Board, Jaipur

Name of Work: Hiring of Security Guards (Civil) on Rate contract, Firm should Bid only Service Charge in % in Column No. 6 Only

Contract No:

Sample Sheet

S. No.					XTRA by Firm					
					Offer BASIC RATE (Service Charge in % on Col No. 6)	Service Charge in Amount)	ESI Rate 03.25%	EPF Rate @ 13%	TOTAL AMOUNT Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1					6	7	8	9	10	11
1	जयपुर कार्यालय जोधपुर स्थित 2 वृत व बीकानेर, उदयपुर, अलवर, कोटा स्थित 1 वृत व इनके अधीन खण्ड कार्यालय अधीनस्थ उप खण्ड कार्यालय	200	each	8280	0.00%	0	269	1076	9625	
Total in Figures		200								
Quoted Rate in Figures										
Quoted Rate in Words										

उपर्युक्त तालिका में कॉलम 1,2,3,4 व 7 से 11 तक की पूर्तियां संबंधित उपापन समिति द्वारा की गई है। वित्तीय प्रस्ताव कॉलम **संख्या 6** में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रतिशत प्रविष्टियां की जानी है।

नोट – सेवा प्रदाता द्वारा कॉलम संख्या 6 **में सर्विस चार्ज प्रतिशत** में अंकित की जावे।

निविदाता के हस्ताक्षर
(नाम मय मोहर)